Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर ... मजिस्ट्रेट (कास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2025/19

Number of Case A/09/ Year 2025

खेरिंगाराम व अन्य Versus अर्जुनराम के का.मु.व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of cor... of the Orde...
	हुई। मूल वाद में वादी द्वारा अ.फा. अंतर्गत O23 R1 CPC R/w Sec 151 CPC पेश किया। पत्रावली आज्ञप्ति डिक्टाई 05/3/25 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (कास्ट ट्रेक) जोधपुर	
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाल उभ। चूंकि मूल वाद फरीकैन विद्वान स्वांछित किया जा चुका है अतः मूल वाद से संबंधित इत्तेजात प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया कि अप्रार्थीगण ने इत्तेजात प्रकरण में Counter TI प्रस्तुत की है अतः Counter TI स्वांछित न करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण के उक्त कथनों का वकील प्रार्थीगण ने खण्डन करते हुए यह कथन किया कि मूल वाद में अप्रतिवादीगण द्वारा कोई काउंटर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः Counter TI maintainable नहीं होने से स्वांछित की जावे।	
	इसमें पत्रावली मय आदेशिका	

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट CNR NUMBER 2025/12
Court of (फास्ट ट्रेक), जोधपुर at
Kind of the Case u/s - 212 R.T.A. 1955
Number of Case A/09/ Year 2025
खिंगाराम व अन्य Versus अर्जुनराम के जो.पु. व अन्य

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
तथा मूल वाद पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा चूंकि मूल वाद काउण्टर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त प्रकरण में काउण्टर वाद के अभाव में काउण्टर TI प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थीगण के Counter प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर